नीतिगत दिशानिर्देश
रोज़गार समाचार, प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश

1976 में अपने प्रारंभ होने के समय से ही, रोज़गार समाचार सरकारी क्षेत्र-दोनों केंद्रीय एवं राज्य की भर्ती रिक्तियों के विज्ञापन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों की प्रवेश सूचनाओं तथा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन-आयोग, रेलवे भर्ती बोर्डों तथा अन्य सरकारी भर्ती निकायों के परीक्षा परिणाम प्रकाशित करता आ रहा है। विज्ञापनों की बढ़ी हुई संख्या के साथ-साथ रोज़गार समाचार के सर्कुलेशन तथा अत्यधिक प्रसार के साथ, रोज़गार समाचार में विज्ञापनों के प्रकाशन से संबंधित इस मंत्रालय तथा निदेशक, प्रकाशन विभाग एवं महाप्रबंधक तथा मुख्य संपादक, रोज़गार समाचार के विभिन्न अलग-अलग निर्णयों को, इस विषय पर संक्षिप्त, अद्यतन एवं व्यापक दिशानिर्देशों में परिवर्तित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार में विज्ञापनों के प्रकाशनों के वर्तमान दिशानिर्देश।

एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार में विज्ञापनों के प्रकाशन पर सभी पूर्व निर्णयों के अधिक्रमण में, अब से निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा:-

*एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार में निम्नलिखित वर्गों के विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे:-
क) रोज़गार रिक्तियां
ख) रोज़गार-उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम
ग) रोज़गार-उन्मुखी पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रवेश सूचनाएं
घ) भर्ती-परीक्षाओं के परिणाम

*उक्त चार वर्गों के विज्ञापन- निम्नलिखित श्रेणी के ग्राहकों के संबंध में प्रकाशित किए जाएंगे:-
क. केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रशासनों के मंत्रालय/विभाग

ख. केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रशासनों के मंत्रालयों/विभागों के अधीन कार्यालय/संगठन/स्वायत्त निकाय/सोसाइटियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

ग. राष्ट्रीयकृत बैंक/रेलवे भर्ती बोर्ड/ संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/वैधानिक एवं सांविधिक निकाय और अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियां।

घ. केंद्रीय/राज्य सरकारी विश्वविद्यालय/संसद एवं राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अंतर्गत मान्य विश्वविद्यालय।

ङ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय/प्रशासनिक रूप से नियंत्रित कॉलेज/संस्थान।

*यह प्रमाणित करने की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी कि कोई ग्राहक विशेष उक्त पैरा-२ में उल्लिखित ५ श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आता है. ग्राहक उक्त पांच में से किसी एक श्रेणी से संबंधित होने का स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा और इस मामले में महाप्रबंधक तथा मुख्य संपादक, रोज़गार समाचार का निर्णय अंतिम होगा।

*रोज़गार समाचार में वास्तविक विज्ञापन प्रकाशित हों, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महाप्रबंधक तथा मुख्य संपादक की होगी. यदि विज्ञापन की प्रामाणिकता के संबंध में उन्हें कोई संदेह हो तो उन्हें, विज्ञापनों के प्रकाशन के अनुरोध स्वीकार या रद्द करने का अधिकार होगा।

*किसी अनुरोध को रद्द करते समय महाप्रबंधक तथा मुख्य संपादक अनुरोध को रद्द करने के कारण ग्राहक को लिखित में सूचित करेंगे।

*केंद्रीय सरकार से संबंधित संगठनों के मामले में विज्ञापन सामान्यत: डीएवीपी के माध्यम से और राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संगठनों के विज्ञापन संबंधित सूचना एवं जन संपर्क निदेशक के माध्यम से भेजे जाएं. किंतु, यदि ग्राहकों को अपने विज्ञापन उक्त उल्लिखित रूप से भेजने में कोई कठिनाई/समस्या हो, तो वे, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किए जाने की शर्त पर, अपने विज्ञापन रोज़गार समाचार को सीधे भेज सकते हैं:-

क. उन्हें अपने संबंधित मंत्रालय/विभाग में अपनी स्थिति के बारे में एक पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
ख. उन्हें रिलीज ऑर्डर के साथ पूरा भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा।
*महाप्रबंधक तथा मुख्य संपादक ऐसे ग्राहकों से विज्ञापन स्वीकार करना बंद करने का अधिकार रखते हैं, जो उनके विचार में, पूर्व विज्ञापनों के बकाया भुगतान करने में असफल रहे हों।

*ग्राहकों को, रोज़गार समाचार में अपने विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करनी होंगी/उनका अनुपालन करना होगा:-
क. सामग्री, विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से कम से कम २१ दिन पहले रोज़गार समाचार कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

ख. सामग्री अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में ८-फॉउंट साइज में सीडी फार्मेट पीडीएफ/पेजमेकर/क्वार्क एक्सप्रेस में भेजी जानी चाहिए।

ग. विज्ञापन के लिए दरें डीएवीपी द्वारा निर्धारित तथा रोज़गार समाचार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

*विज्ञापन सामग्री आर्ट वर्क/सीडी/हार्ड कॉपी में भेजने वाली एजेंसियों को समय-समय पर यथा लागू मानक एजेंसी छूट अनुमत होगी।

*देश के किसी भी भाग में होने वाले किसी विवाद के मामले में दिल्ली/नई दिल्ली के स्थानीय न्यायालय ही अनिवार्यत: निपटान अधिकार क्षेत्र होंगे।